राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं कौन सी हैं?

1. हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्रियों या सामानों की ढुलाई के लिए परिवहन सेवाएं; अथवा
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएँ; अथवा
3. किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; अथवा
4. सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली; अथवा
5. अस्पताल या औषधालय में सेवा; अथवा
6. बीमा सेवाऐं; अथवा
7. शिक्षा या शैक्षणिक संस्थान; अथवा
8. आवाास और रियल एस्टेट सेवा; अथवा
9. बैंकिंग एवं वित्त संवाऐं; अथवा
10. बुढापा पेंशन; अथवा
11. विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन; अथवा
12. आश्रित बच्चों या विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता; अथवा
13. विकलांग व्यक्तियों को पेंशन; अथवा
14. विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटी की शादी के लिये वित्तीय सहायता (एस.सी) समुदाय से संबंधित; अथवा
15. प्रसव के बाद महिलाओं को पोषण के लिए वित्तीय सहायता; अथवा
16. अंतरजातिय विवाह को प्रोत्साहन; अथवा
17. विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल पर सब्सिडी; अथवा
18. विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता; अथवा
19. उपकरणो की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता; अथवा
20. अपनी बेटी अपना धन स्कीम; अथवा
21. हमारी बेटी स्कीम;

स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) में वाद कैसे दायर करें।

जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को सादे कागज पर स्थायी लोक अदालत (ऐ.डी.आर. सैंटर, दूसरी मंजिल, जिला अदालत, सैक्टर 43, यू.टी., चण्डीगढ) के अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से दायर किया जा सकता है, स्थायी लोक अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार एक करोड़ रुपये है।

स्थाई लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) मे केस दायर करने के फायदे :

1. मामलो/विवादो का शीघ्र निस्तारण;
2. मुकदमा दायर करने के लिये कोई न्यायालय शुल्क आवश्यक नही है;
3. स्थायी लोक अदालत (पी.यू.एस) का अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है;
4. स्थायी लोक अदालत (पी.यू.एस) के अवार्ड के खिलाफ कोई अपील दायर नही की जा सकती है;
5. स्थायी लोक अदालत (पी.यू.एस) अपने आदेशो का निष्पादन कर सकता है;

कानूनी सहायता और स्थायी लोक अदालत (पी.यू.एस), चण्डीगढ़ मे मामले दर्ज करने और अन्य सम्बधित जानकारी के लिये कृप्या सम्पर्क करे:-

सम्पर्क विवरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(यू.टी) चण्डीगढ़
एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, सिंगल फ्लोर, सैक्टर - 9 डी, चण्डीगढ़
मोबाईल नं: 70871-12348 | फोन न.: 0172-2742999
ईमेल : slsa-chd@nic.in

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(यू.टी) चण्डीगढ़
ऐ.डी.आर सैंटर, दूसरी मंजिल, जिला अदालत, सैक्टर 43, यू.टी., चण्डीगढ़
हैल्पलाईन नं: 0172-2972223 | ईमेल : dlsautchd@gmail.com

राष्ट्रीय हैल्पलाईन नं: 15100